ललिता V/S स्व. पन्नालाल के कायममुकाम

अपीलान्ट के अधिवक्ता उपस्थित। उपस्थित के अधिवक्ता को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया। प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बिना एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। जबकि अपीलान्ट विवादित भूमि का जरिए बेचाननामे के रेकर्डेड खातेदार है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश प्रकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत है। वर्तमान मे विवादित भूमि रेस्पोडेन्ट के नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हो चुकी है। अपीलान्ट का उक्त भूमि मे कोई हक अधिकार नही है तथा ना ही अपील करने का अधिकार है। रेस्पोडेन्ट ने मात्र अपीलान्ट को अनावश्यक परेशान करने के उद्धेश्य से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की है। अतः न्याय हित मे अपर जिला कलेक्टर, द्वारा राजस्व अपील संख्या 29/2012 मे पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.11.2017 की पालना व प्रभाव को स्थगित करने का आदेश प्रदान करावें।

हमने अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया तथा अपीलाधीन आदेश एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया जिससे पाया गया कि प्रथम दृष्टया सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे प्रतीत होता है। अतः अपर जिला कलेक्टर, द्वारा राजस्व अपील संख्या 29/2012 मे पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.11.2017 की पालना व प्रभाव को आगामी आदेश तक स्थगित किया जाता है। स्थगन प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो तथा मूल पत्रावली मे संलग्न हो।

(ललित कुमार गुप्ता)
डिवीजनल कमिश्नर जोधपुर